

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03 / विविध-07-34 / 2005----- / राँची, दिनांक :----- /

आदेश

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-14/279/02 एस.आर.(एस.) दिनांक 15.09.04 की कंडिका-02 में दिए गए दिशा निर्देश तथा उत्तरवर्ती झारखण्ड एवं बिहार सरकार की सहमति के आलोक में बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-92 की उप धारा (2) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित कनीय अभियंता को बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग के आदेश सं.-3039 दिनांक 17.03.10 द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर श्री जगन्नाथ प्रसाद तांती, आई.डी.-जे 8037, जन्म तिथि 07.07.60 को बिहार राज्य के बदले झारखण्ड राज्य अंतिम रूप से आवंटित किया गया है एवं श्री राम शंकर गुप्त, आई.डी.-जे 8867, जन्म तिथि 15.04.61 को झारखण्ड राज्य के बदले बिहार राज्य संवर्ग अंतिम रूप से आवंटित किया गया है।

अतएव गृह (विशेष) विभाग, बिहार पटना के उक्त आदेश के आलोक में श्री राम शंकर गुप्त को राज्य अवर अभियंत्रण सेवा (जल संसाधन विभाग) में संवर्ग अंतिम रूप से बिहार आवंटित होने के फलस्वरूप उन्हें निदेश दिया जाता है कि दिनांक 14.10.2013 तक अपना पूर्ण प्रभार सौंप दें एवं तदनुपरांत जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में योगदान दें। इस तिथि तक प्रभार नहीं सौंपने पर उन्हें दिनांक 15.10.2013 के अपराह्न से स्वतः विरमित समझा जाएगा।

2. श्री गुप्त अपना योगदान बिहार राज्य के प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय में देंगे।
3. श्री गुप्त का 15 अक्टूबर 2013 के बाद का वेतन झारखण्ड राज्य से देय नहीं होगा।
4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार पटना को आपके ज्ञापांक 3039 दिनांक 10.03.2010 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची/ बिहार, पटना/ सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(सीता कान्त झा)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- वित्तीय दावा निर्धारण कोषांग, राँची/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची/ मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह/ कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-09, घाटशिला/ श्री रामशंकर गुप्त, कनीय अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-09, घाटशिला शिविर गालूडीह/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-02/ बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(सीता कान्त झा)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :-

5824

राँची, दिनांक :-

3-10-13

प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/13

(सीता कान्त झा)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

1/11/13